ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 18/20–21

अनिता कुमारी बनाम् मनोज दास वगै0

–: आदेश :–

16.09.2022

वर्त्तमान वाद आवेदिका अनिता कुमारी, पे0–स्व0 तीनकौड़ी रविदास, सा0–बलिया कुरमीकिता, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–महागामा नं0–700, जमाबंदी नं0–81, दाग नं0–08, कुल रकवा–00–03–06 धूर भूमि से विपक्षीगण मनोज दास, सरोज दास, अजय दास, तीनों पे0–स्व0 तीनकौड़ी रविदास, मुन्ना तिवारी, पवन भगत, सभी सा0–महागामा, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु दायर वाद पर प्रकिया प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–230/रा0, दिनांक–01.03.2021 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन करने के आधार पर उभय पक्ष एक ही जमबंदी रैयत के वंशज होने के कारण विषयांकित मामला आपसी बंटवारा से संबंधित रहने पर निपटारा सक्षम न्यायालय से प्रतीत होने के कारण आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

16.09.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

16.09.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.15 16:07:23 +05:30
Location: 192.168.8.115